

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): The three-year degree course has been introduced by all the Universities providing undergraduate courses in Arts, Science and Commerce, except the Bombay University and the State Universities of U.P.

Closure of Collieries

262. Shri Mohammad Elias: Will the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation be pleased to state:

(a) the number and names of collieries which were closed down during the years 1963 to 1966 so far by the Mines Department under Section 22 of the Indian Mines Act, 1952; and

(b) the duration of their closure?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shah Nawaz Khan):

(a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the House in due course.

Hunger-strike in Agartala Jail

263. Shri Kolla Venkatah: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether any persons arrested and detained in Agartala Central Jail, (Tripura) under the Defence of India Rules have resorted to hunger-strike because of the failure to provide them necessary facilities;

(b) the number of detenus who resorted to hunger-strike;

(c) what were their grievances;

(d) whether any Member of Parliament and Members of State Legislature were among the hunger-strikers;

(e) if so, what are their names;

(f) the steps taken to redress their grievances; and

(g) if no, action has been taken the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) Eight persons were arrested under rule 41 (5) D.I.R. on 29th August and sent to Agartala jail as under-trial prisoners. These persons were not detained under rule 30 D.I.R. Of these no one resorted to hunger strike because of failure to provide necessary facilities.

(b) No detenus resorted to hunger strike. Five under trial prisoners resorted to token hunger strike for a day on 12th October.

(c) They were demanding their release.

(d) Yes, Sir.

(e) M.P.—Shri Dasarath Deb.

M.L.A.s—Shri Nripendra Chakraborty.
Shri Sudhanya Deb Varma.
Shri Ram Charan Deb
Varma.

Shri Sunil Chowdhury.

(f) and (g). They demand release. This is a matter for the court to decide.

12 hrs.

RE: CALLING ATTENTION NOTICE
(Query)

Mr. Speaker: Both the hon. members are continuing. I will have to take some action.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवाम) :
गाने देश में आन्दोलन भड़क रहा है कल लाठी चार्ज किया गया है मेरा स्वयं प्रस्ताव स्वीकार कीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल भी बहुत आशीर्वादी से कहा था कि प्रस्ताव मंजूर कराने का यह कोई तरीका नहीं है ।

Shri Laxmi Dass (Miryalguda): **

Mr. Speaker: He is persisting in his disorderly behaviour. I shall ask him to go out. Please go out now. I am asking him to withdraw.

Shri Laxmi Dass: You must consider this case sympathetically.

Mr. Speaker: I have considered it sympathetically. I am now asking him to withdraw from the House. (Interruptions).

Shri Kolla Venkalah (Tenali): May I point out....

Mr. Speaker: I have asked him to withdraw from the House. Is he withdrawing or not?

Shri Kolla Venkalah: I have to protest against such action. Big incidents are taking place in the country, and when we want to say something, you are not allowing us....

Mr. Speaker: Now, he should withdraw from the House.

[Shri Kolla Venkalah left the House]

Shri M. N. Swamy (Ongole): There are no transport facilities; buses have been stopped; 14 people have been killed....

Mr. Speaker: The hon. Member is now creating disorderly scenes. I should ask him also to withdraw from the House.

Shri M. N. Swamy: I would submit that....

Mr. Speaker: Order, order; he will have to withdraw from the House.

[Shri M. N. Swamy left the House]

Mr. Speaker: Now, Shri Bagri.

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) :
अध्यक्ष महोदय

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं बुलाया है आप बेट जाइये ।

श्री बागड़ी (हिसार) : मेरा प्वाइंट आफ़ आर्डर है (व्यवधान)

Shri Dinen Bhattacharya (Serampore): What is 'disorderly behaviour? You may kindly define what disorderly behaviour' is.

Shrimati Renu Chakravartty (Barackpore): These incidents are taking place on the question of the steel plant. Shri Brahmananda Reddy has already come to Delhi and he has spoken to the Prime Minister. We want that the decision should be announced. Should this Parliament not be informed of the real position? Why should Government not make a statement?

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): What is this? They are killing the people....

Mr. Speaker: Members should calmly think over this matter. When we are taking up the no-confidence motion just now....

Shri Umanath (Pudukkottai): When daily firings are taking place, we cannot wait for the conclusion of the debate on the no-confidence motion.

Mr. Speaker: I cannot take that up. When we are going to discuss this no-confidence motion just now. . . .

Shri Dinen Bhattacharya: Is there any hard and fast rule that if there is any no-confidence motion, then calling attention notices will not be admitted? Under what rule are you saying so?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) :
अध्यक्ष महोदय कल इसी सदन में इसी प्रकार कुछ सदस्यों के निष्कासन की स्थिति आई थी जब विद्यार्थियों के असन्तोष पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में काम रोको प्रस्ताव सम्बन्धी चर्चा हुई थी और आपसे अनुरोध किया गया था कि आप उस काम-रोको प्रस्ताव को स्वीकार करें तथा उस पर चर्चा करने का अवसर दें इसी प्रकार गऊ हत्या के सम्बन्ध में तथा यहां पर जो स्त्रियों पर लाठी-चार्ज हुआ था उसके सम्बन्ध में चर्चा हुई इसी प्रकार का

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

एक और प्रश्न भी उठाया गया था कि असम में लाखों की संख्या में पाकिस्तानी घुसपैठिये आ रहे हैं और जिसके सम्बन्ध में असम के मुख्य मंत्री ने भी कहा है मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर जिनसे मारे देश में भयंकर चिन्ता व्याप्त है और स्थिति के बिगड़ने की संभावना है। इन प्रश्नों पर आप काम रोकने के प्रस्ताव के रूप में स्थगन प्रस्ताव के रूप में या किसी भी प्रकार चर्चा का अवसर दे अन्यथा केवल सदस्यों को निकालने से स्थिति शान्त नहीं हो सकेगी बल्कि और बिगड़ जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं आपसे कहता हूँ कि नो-कान्फिडेंस मोशन अभी शुरू करने वाला हूँ उस में ये सब चीजें आ जायेंगी।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : नो-कान्फिडेंस में वे सब विषय नहीं आ सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपका मतलब है कि पहले एडजर्नमेंट मोशन को यहां शुरू कर दूँ।

डा० राम मनोहर लोहिया (फरूखाबाद) : अध्यक्ष महोदय संविधान की धारा 21 को देखिये

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बागड़ी को बुलाया है।

श्री बागड़ी : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कल से आज तक जो परिस्थिति है और खास कर विरोधी दलों के लिये जो यह लफ्फ इस्तेमाल किये जाते हैं कि वे लोग सदन के काम में रुकावट डालते हैं तो मेरा कहना यह है कि विरोधी दलों के नेता और अन्य माननीय सदस्य आपसे भी मिल रहे हैं और सरकार की दल के लोगों से भी मिलते रहते हैं और यकीन मानिये किसी को भी इस बात में आनन्द नहीं मिलता है कि जिम्मेदार

आदमी यहां पर बैठ कर कोई शोरशराबा करें। उसके कुछ कारण हैं। अगर आप सिर्फ इस बात को दबाना चाहें या कोई तरीका ऐसा बनाना चाहें कि जन महत्व के जो प्रश्न हैं वह न उठ सकें जन सभा में लोक सभा में तब तो फिर उसका कोई न कोई तरीका उठाने का निकलेगा। आप सदन में शान्ति रखने और डिकोरम रखने की बार बार कोशिश कर रहे हैं पिछले सत्र से आपकी यह कोशिश ज़रूरी है और इस सत्र में भी आपकी यह कोशिश है कि सदन के अन्दर अमन रहे। प्रधान मंत्री महोदय ने जो यह कहा कि सदन का अनुशासन भंग होता है और विरोधी दल वाले सदन का समय बर्बाद करते हैं ऐसा कह कर के उन्होंने सदन का अपमान किया है। सदन की कार्यवाही ठीक चल रही है देश की महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर यहां पर चर्चा चलती है देशहित की बातें यहां की जाती हैं विदेश हित की नहीं। देश में अगर गोली चलेगी रेल दुर्घटनायें होंगी तो उनकी सदन के अन्दर चर्चा होगी देश के अन्दर अगर सूखा भूखमरी होगी तो उनकी चर्चा हाउस के अन्दर भी होगी। अगर यहां पर महत्वपूर्ण सबाल नहीं आयेंगे तो यह लोक सभा फिर 1880 की केवल स्वीकृति में हाथ उठाने वाली कांग्रेस की संस्था भंग बन कर रह जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि जैसे आपने सदन के शुरू होने से पहले बयान दिया था तो उस कथनी को करनी में परिवर्तित कीजिये उसको अमल में लाइये। किसी को यों ही शौक नहीं आता है कि यहां पर महत्व की घटना को लेकर चर्चा उठाने का आग्रह करे और आप उसे ऐम करने के लिए बाहर निकालें और उसे उसके परिणाम स्वरूप सदन के बाहर जाना पड़े। यह आखिर को देश की लोक सभा है और इस में लोक महत्व की बात आनी ही चाहिए और वह आकर रहेगी चाहे किसी तरीके से उसको करे।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय प्राप प्रपना उत्तर देने से पहले मेरा भी थोड़ा सा निवेदन सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बागड़ी को सुन लिया । मैं समझता हूँ कि प्रगर देश में बाहर प्रमन्तोष होगा तो यहाँ हाउस के प्रन्द भी उनकी चर्चा होगी और जो भी महत्वपूर्ण मामले हों उन पर चर्चा के लिए मैं प्रवमर देने के लिए तैयार हूँ ।

श्री मधु लिमये (मुंगर) : कहां दे रहे हैं ?

Shri Dinen Bhattacharya: The call attention notice was on a specific issue.

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय मेरा भी

अध्यक्ष महोदय : प्रब प्राप सुनेंगे या नहीं ? बैठिये, खामोश रहिये ।

श्री रामसेवक यादव : मैं बहुत देर से खड़ा हो रहा हूँ मुझे सुन कर प्राप उत्तर दें ।

अध्यक्ष महोदय : प्राप बैठ जाइये । मैंने सुन लिया है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अभी प्राप ने संविधान की धारा 21 के बारे में नहीं सुना ।

अध्यक्ष महोदय : मैं बागड़ी साहब को जवाब दे रहा हूँ । मैं कह रहा था कि जो महत्वपूर्ण विषय हों उन पर डिस्कशन के लिये मैं उचित प्रवमर देने के लिए तैयार हूँ और मैं चाहता हूँ कि उन पर यहाँ बहस हो जाय । बाकी देखने की बात यह है कि आज के लिये मैंने नो कौनफिडेंस मोशन एडमिट किया है और उसका दाबरा सीमित नहीं है और उस के अधीन तमाम विषय आ सकते हैं और उनकी चर्चा सदस्यों द्वारा की जा सकती है । प्रब जब तक वह बहस खत्म न हो जाए तब तक मैं और ऐडजोर्नमेन्ट

मोशन के मामले नहीं ले सकता । यह कायदा है ।

Shri Daji (Indore): There is no such rule.

श्री राधसेवक यादव : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उस वक्त तक नहीं ले सकता

श्री मधु लिमये : कैसे नहीं ले सकते ?

Shri Dinen Bhattacharya: How can you disallow such a motion?

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये । (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : क्वेश्चन प्रावर भी खत्म कर दीजिये जब तक कि नो-कौनफिडेंस मोशन चल रहा हो ।

अध्यक्ष महोदय : बात तो मेरी सुन लीजिये । नो-कौनफिडेंस मोशन के समय प्रगर उन मामलों पर बहस नहीं होगी या जवाब नहीं प्रायेगा तो मैं फिर उनके लिये गौर कर सकता हूँ लेकिन अभी फिलहाल मैं उनको नहीं ले सकता । (व्यवधान) मैंने श्री रंगा को बुलाया है ।

Shri Ranga (Chittoor): I quite appreciate the statement that you have made that when the no confidence motion is going to be discussed and is pending before the House, you are not prepared to allow any adjournment motion.

Mr. Speaker: We are taking it up today.

Shri Ranga: I am not at the same time able to appreciate the other point that calling attention notices also need not be taken up at all. Apart from the Question Hour, only yesterday the Railway Minister was allowed to make a statement here in regard to accidents. Similarly, it

[Shri Ranga]

ought to be open to the other Ministers also. Calling attention notice is no censure, is not an adjournment motion, is not a part of no confidence; it is to seek information on an urgent matter of public importance. Now, information may be mere information or information regarding the attitude of the Government in regard to a particular situation.

You were good enough to say just now that there are some matters concerning national interests, of very great significance and importance, and that you would certainly like to give proper opportunities for them to be discussed in the House. The least troublesome opportunity for those things to be brought to the notice of the House and the country is the calling attention notice. Therefore, it is not possible for me to appreciate why you want to prevent calling attention notices also from being taken up, from being answered by the Government.

Now, for instance, there is the universal bandh peacefully conducted, no one has been killed either by the police or by anybody else. In the Osmania University. No less a person than the Vice-Chancellor has been put into trouble. The whole senate was in favour of it, all the teachers, all the students, all the professors want peace among the students, there is peace, and yet they are being punished, there is so much trouble there.

There is this other trouble in regard to Visakhapatnam steel plant. So many people are being killed. Surely, it ought to be possible for you to allow a calling attention notice in regard to that or this or such other matters like cow protection to be answered by them. If they are not prepared to give a definite decision now, pending the decision, let the Prime Minister say in the House, what she is saying outside, what she has been appealing to the people there as well as the

satyagrahis; let her take the House into confidence and make a statement. Why should you not help us as well as the Government to see that the public are appealed to and peace is established in this country, and these deaths, growing number of deaths, is stopped or put an end to? That is the appeal I wish to make to you.

Shri A. K. Gopalan (Kasergod): I can understand if you do not allow the adjournment motion because there is a censure motion, because an adjournment motion is another kind of censure motion, but as far as the calling attention is concerned, it must be answered because there is a possibility that the situation outside may ease by the answer of the Minister concerned or the Prime Minister speaking on the calling attention concerned. For three days we are going to discuss the censure motion, and within those three days we do not know what will happen in the country. So, when it is a matter of public importance, we want to know what is happening in the country.

It may be there are certain rules framed by this Parliament 15 years ago, but the situation in the country today after 15 years is not what we have seen before. Yesterday there was firing at Raipur. Every day there is firing and killing, all the students in the country are coming out. So, it is our duty when there is an issue of such importance, when the life of the people is in danger, to get an answer, which may ease the situation.

I want to make an appeal to you that in view of so many things that are happening in the country, at least you should devote some time to calling attention notices being answered, so that the House may understand what is happening and the reasons for them, so that the replies may ease the situation inside Parliament also. Otherwise, there will be difficulties, it will become impossible.

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष
महोदय, आप संबिधान की धारा 21 पढ़िये ।

"No person shall be deprived...."

श्री प्रिय गुरुत (कटिहार) : हिन्दी में बोलिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जो लिखा है इन लोगों ने, * * * संविधान बनाया है । श्रीर जहाँ तक मैंने सुना है अध्यक्ष महोदय ने उस संविधान पर दस्तखत करने से इन्कार किया था ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : अभी डा० लोहिया ने कहा कि * * * लोगों ने संविधान बनाया था । यह बिल्कुल गलत चीज है । इसको एक्सपन्ज किया जाये ।

श्री बी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : श्रीर यह कहा गया कि आपने दस्तखत नहीं किये थे संविधान पर । इसको भी एक्सपन्ज किया जाये ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : आपके दस्तखत नहीं हैं यह बिल्कुल गलत है ।

अध्यक्ष महोदय : जब यह ठीक है कि मैंने दस्तखत नहीं किये तब मैं इसका निकालूँ किस तरह से । (व्यवधान) . . . इतना तो जो मेम्बर बोले उम का खुद खयाल करना चाहिये कि यह कहना उचित है या नहीं । जब इसमें मुझ से अपील की जाये तो मुझे यही कहना है कि डिमाक्रेमी इसी तरह चलती है कि हर एक मेम्बर अपने फरायज को पूरी तरह अंजाम दे । अगर यह कहा जाये कि हर एक चीज को मैं एक्सपन्ज करता रहूँ तो हर एक चीज को मैं कैसे एक्सपन्ज करता रहूँ । इसको (व्यवधान)

Shri Hem Barua (Gauhati): You have taken an oath on the Constitution here, as Members of Parliament. When he says that the Constitution is the handmaid and so on, then it is meaningless why you should have taken an oath on the Constitution;

this is reducing Parliament to a mockery and you, as the custodian of the rights and privileges of the House should come to our rescue. I think it should be expunged from the proceedings of this House. (Interruptions.) I am not a ghulam of anybody; I cannot be a slave to anybody; no Member can be a slave of anybody.

Shri Radhelal Vyas (Ujjain): He has taken an oath on this Constitution.

डा० राम मनोहर लोहिया : बड़े कसम खा कर आये हो न । यहाँ दिन रात अंग्रेजी बोलते हो । संविधान में साफ लिखा है कि अंग्रेजी नहीं बोलेंगे ।

* * * यह लोग नहीं हैं तो क्या हैं ।

Shri Hari Vishnu Kamath (Hosh-angabad): If I remember aright, you too were one of those people. . . . (Interruptions).

Mr. Speaker: Order, order; not in this manner.

Shri Hem Barua: If Dr. Lohia says that he is the only liberated person, he was never a slave of the British, I can understand that. But I do not understand what he has said. Everybody fought against the British to make this country free. . . . (Interruptions).

श्री बागड़ी : अंग्रेजी के गुलाम कहते हैं ।

Shri Hem Barua: I am not going to tolerate this sort of muddy things; I am not going to tolerate this sort of monkeying in this House.

श्री मजुलिसये : कांग्रेस के गुलाम हैं । (Interruptions.)

Mr. Speaker: The expression used by Dr. Lohia will be expunged. I would appeal to the Members to show some respect to each other and not to proceed in this manner. It is very unfortunate that they should descend so low as that; we should have some respect for each other.

Shri Bade (Khargone): Two advocates were fighting like this and when the Judge said: you should sit silent now that you have identified yourselves.

Shri Hari Vishnu Kamath: In all humility and with all earnestness, I wish to say this, without going into the vexed question of who is master and who is slave—I leave that question to Dr. Lohia, the question of judging who is master and who is slave. I do not want to go into that—but, I would only like to submit that you too, I believe, along with my hon. colleagues here—Acharya Kripalani and Shri Frank Anthony and—Shri Jawaharlal Nehru is not there now—

An hon. Member: Acharya Ranga.

Shri Hari Vishnu Kamath: Yes, Acharya Ranga—Prof. Ranga—had signed the Constitution, and all those were no less gallant and brave and courageous freedom-fighters than Dr. Lohia. (*Interruption*).

An hon. Member: Shri Frank Anthony?

Shri Hari Vishnu Kamath: They were no less gallant freedom-fighters . . . (*Interruption*).

Mr. Speaker: Order, order.

Shri Hari Vishnu Kamath: I want to submit that you too, Sir, if I remember aright, were among those who signed the Constitution.

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सेकेन्ड में निवेदन करना चाहता हूँ . . .

अध्यक्ष महोदय : एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तब मैं एक सेकेन्ड के लिये प्राप को कैसे बुला लूँ।

Shri Hari Vishnu Kamath: Therefore, I would submit that this reflection upon many Members of this House, members of the Constituent Assembly, who had the privilege of working to forge a Constitution for India, is uncalled for. The preamble to the Constitution itself declares:

“We, the people of India . . . do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution.”

And we have taken the oath; every Member, before he sat in the House, took the oath of loyalty to the Constitution. Even Dr. Lohia—I do not think he refused to take it—and all Members who have sat here are all loyal and are bound by the oath which they have taken according to the wording of the Constitution. For anybody to say that the Constitution was framed by the so-called—to use his own words—(*Interruption*)—** would be wrong. The Constitution was signed two and a half years after the British withdrawal in 1947, and all those who signed it, all those who were in the Constituent Assembly, were all free men in this country, free people, free Indians, and to say the least, it is shameful that any Member of the House should say that the Constitution of our country was signed by slaves. (*Interruption*).

Several hon. Members rose—

श्री बड़े : माननीय सदस्य ने कहा था * * हम इस को मानने के लिये तैयार नहीं हैं। अंग्रेजी के गुलाम कहना डिफरेंट चीज है। (अवधान) या तो डा० लोहिया को इन शब्दों को वापस लेना चाहिये या फिर क्लिष्ट कराना चाहिये कि * * नहीं कहा, अंग्रेजी के गुलाम कहा।

श्री हुकूम खन्व कख्वाय : * *
शब्द वापस लिये जायें ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये । अगर मैं किसी से कहता हूँ कि विघड़ा करो तो वह मुझे काम नहीं करने देते और बोलते चले जाते हैं । मैं अपोजीशन के मेम्बरों से अपील करूंगा कि मैं एक्शन लेता हूँ तो वह कहते हैं कि मैं उन को विघड़ा करने को कह रहा हूँ और यह ठीक नहीं है । लेकिन मुझे वह काम नहीं चलाने देते, एक के बाद दूसरे बड़े अपने आप बोलने लग जाते हैं ।

श्री हुकूम खन्व कख्वाय : आप उनसे इन शब्दों को विघड़ा करवाइये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने उनको एक्सपन्ज कर दिया है तब उसको विघड़ा करने का सवाल कहाँ उठता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अब मुझे यहां अंग्रेजी में पढ़ना होगा । अगर मुझे कोई टोके और कहे कि तुम क्यों अंग्रेजी में पढ़ रहे हो । उसमें मैं कहूँ कि चूँकि अंग्रेजी के गुलामों ने इसको बनाया तो मैंने क्या गलती की । मैं हिन्दी में कहाँ से पढ़ूँ । हिन्दी में तो आपकी किताबें हैं नहीं । हिन्दी में तो आप सिर्फ अनुवाद छापते हैं जब कभी कोई चीज छापते हैं तो अंग्रेजी में छापते हैं । क्या मुझे अंग्रेजी पढ़ने का शौक है । यहां पर बेमतलब लोग कह दिया करते हैं । उनकी सुन लेते हैं, मेरी नहीं सुनते । बेमतलब आदमी बहाने संविधान तोड़ते रहते हैं और मुझे संविधान की सीख देना चाहते हैं ।

एक माननीय सदस्य : तजुमा करके पढ़ो ।

डा० राम मनोहर लोहिया : वह कह रहे हैं तजुमा करके पढ़ो । एक से एक हैं ।

"No person shall be deprived of his right or personal liberty except according to procedure established by law".

किसी व्यक्ति की जान नहीं ली जाएगी, केवल जो प्रक्रिया है उसके अनुसार ही ली जायेगी, जो कानून बना हुआ है उसके अनुसार ही ली जाएगी । अब कानून कौसी है । आप देखें रोज इस सरकार की मातहतों में दो, चार, पांच, दस, पंद्रह आदमी पुलिस की गोली से मरते रहते हैं । यह धारा जो 21 है बिल्कुल ऐसी चीजों पर लागू हो जाती है । क्या यह सरकार बिना लोगों की जान लिए हुए चल नहीं सकती है ? कौन सा कानून है, क्या प्रक्रिया है जिससे ये जानें ली जाती है ? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रोज रोज यहां पर कत्लेआम हुआ करते हैं । यह बात सही है कि दस पंद्रह आदमी ही मर रहे हैं, ज्यादा तादाद में नहीं । लेकिन यह रोच हो रहा है । ऐसी सूरत में यह जरूरी हो जाता है कि लोक सभा इस पर विचार करे कि धारा 21 का कोई अर्थ रह गया है या नहीं । धारा 21 में बिल्कुल साफ बताया गया है कि हर एक आदमी को अपने जीवन के बारे में सुरक्षा रहेगी । लेकिन आप देखें कि खोमचे वाले, रिकशा चलाने वाले, तांबे वाले, कुली जितनी भी सर्व साधारण जनता है जो सड़कों पर रहती है उनके ऊपर गोलियां भंघाघुघ चलाई जाती है । नन्हे नन्हे बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं रहता है, ज्यादा से ज्यादा कसूर रहा तो यह रहता है कि एक आघ पत्थर फेंक देते हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं । आखिर कोई सिद्धान्त तो होगा । एक सिद्धान्त है, जान के बदले जान । अदालतों में जान लेने का फैसला तब किया जाता है जब मुजरिम ने कोई करल किया हुआ होता है । लेकिन यह देश ऐसा बन गया है कि हर किसी चीज पर जान ले लो । किसी ने बस के किसी शीशे को तोड़ दिया, उसकी जान ले डाली या किसी ने और कोई इस तरह की छोटी मोटी कार्रवाई कर दी, उसकी जान ले डालो । आखिर समझ आपने क्या रक्खा है...

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें। आपने अपनी बात कह ली है।

डा० राम मनोहर लोहिया : मुझे अपनी बात पूरी तो कर लेने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : भाषण की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

डा० राम मनोहर लोहिया : इस मामले को लेकर आपको नोटिस मिले हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो कि इन लोगों की समझ में नहीं आएगा। ये जो सामने बैठे हुए हैं इनकी समझ में नहीं आएगा। आपको इसको कुछ समझने की कोशिश करनी चाहिये। आप इस वक्त क्या कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप ऐसे देश की लोक सभा के अध्यक्ष बन रहे हैं जहां पर

अध्यक्ष महोदय : अब आप बं जाइये।

डा० राम मनोहर लोहिया : बिना गोलियां चलाये देश का काम नहीं हो सकता है? इस पर बहस होनी चाहिये। पूरी बात भी मुझे आप रखने नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठता है। अगर किसी की लिबर्टी को विदाउट प्रासेस आफ ला छीना जाता है या करटेल किया जाता है तो उसके लिए ला कौर्ट्स हैं। हम यहां इसका फसला नहीं कर सकते हैं।

श्री मधु लिमये : चर्चा तो कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा करने के लिए तमाम मौके दिये जायेंगे।

श्री मधु-लिमये : वे ही तो नहीं मिल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हुकम चन्द कछवाय : आप स्वीकार नहीं करते हैं। कब आप देंगे। गो हत्या के बारे में आन्दोलन चल रहा है. . .

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री हुकम चन्द कछवाय : लाठियां चलाई जाती हैं, उनको जेलों में डाला जाता है. . .

अध्यक्ष महोदय : कछवाय साहब, अब आप बैठ जायें।

श्री हुकम चन्द कछवाय : हम नोटिस देते हैं आप-मौका ही नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें। रंगा साहब और गोपालन साहब ने जो कहा है उसको फिर एग्जैमिन करके मैं हाउस के सामने कहूंगा।

पेपर्स टू बी लेड आन दी टेबल।

12.33 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS RE: KERALA EDUCATION RULES

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla):—I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications making certain amendments to the Kerala Education Rules, 1959, under section 37 of the Kerala Education Act, 1958, read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 24th March, 1965, issued by the Vice-President, discharging the functions of the President, in relation to the State of Kerala:—

- (1) S. R. O. No. 410/65 published in Kerala Gazette dated the 23rd November, 1965.
- (2) S. R. O. No. 119/66 published in Kerala Gazette dated the 15th March, 1966.
- (3) S.R.O. No. 197/66 published in Kerala Gazette dated the 17th May, 1966.

[Placed in Library. See No. LT-7045/66]

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।